LiFE Lifestyle for Environment

आज़ादी का अमृत महोत्सव

छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 6746 /विधि/छ.ग.प.सं.मं./2024 अटल नगर दिनांक 25/10/2024

प्रति,

रजिस्ट्रार,
माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
सेंट्रल जोनल बेंच, स्टेट कमीशन भवन, तृतीय तल,
अरेरा हिल्स, भोपाल 462011 (म.प्र.) 0755-2575680

विषय :- OA 595/2024 (PB) माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण News Item titled "Balod : *मशीन की सील तोड़कर कर रहे थे अवैध खनन, भाजपा नेता ने की शिकायत, हो सकती है FIR"* appearing in amarujala.com dated 15.04.2024 के संबंध में।

संदर्भ :- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत OA 595/2024 (PB) माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण News Item titled "Balod : *मशीन की सील तोड़कर कर रहे थे अवैध खनन, भाजपा नेता ने की शिकायत, हो सकती है FIR"* appearing in amarujala.com dated 15.04.2024 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2024 आदेश के पैरा '5' एवं '6' अनुसार एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर कृपया प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

General letter

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई,जिला दुर्ग (छ.ग.)
bhilairo@gmail.com

Action Taken Report

विषय :– OA 595/2024 (PB) माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण News Item titled " Balod : मशीन की सील तोड़कर कर रहे थे अवैध खनन, भाजपा नेता ने की शिकायत, हो सकती है FIR" appearing in amarujala.com dated 15.04.2024 के संबंध में।

संदर्भ :– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा OA 595/2024 (PB) के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24.05.2024

–00–

OA 595/2024 (PB) माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण News Item titled "Balod : मशीन की सील तोड़कर कर रहे थे अवैध खनन, भाजपा नेता ने की शिकायत, हो सकती है FIR" appearing in amarujala.com dated 15.04.2024 के प्रकरण में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2024 के परिपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद को दिनांक 20.06.2024 को बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के पोड़ रेत खदान की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। प्रेषित पत्र के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा), जिला–बालोद के पत्र दिनांक 28.06.2024 के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई **(संलग्नक–01)**। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद से प्राप्त जानकारी के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की कार्यवाही की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

पारित आदेश के बिन्दु कमांक–05 के पालनार्थ की गई कार्यवाही :–

1. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उप संचालक/खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद को बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के पोड़ रेत खदान की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत् पत्र कमांक 1857 दिनांक 20.06.2024 जारी किया गया।

2. खनि. अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा पत्र कमांक 1261 दिनांक 28.06.2024 द्वारा बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के पोड़ रेत खदान से अवैध उत्खनन एवं खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त हुई।

3. खनि. अधिकारी, बालोद से प्राप्त जानकारी के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्र कमांक 4022 दिनांक 13.09.2024 द्वारा अवैध उत्खननकर्ताओं पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई :– (संलग्नक–02)

क्र.	उत्खननकर्ता का नाम व पता	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि।
1.	श्री रविकांत साहू, आ0 सोहनलाल साहू, निवासी – शीतलापारा, गुरूर, बालोद	रूपये – 2,85,548 / –
2.	श्री शंकरलाल, आ0 स्वर्गीय माखनलाल महार, निवासी – जगन्नाथपुर, सांकरा, बालोद	
3.	श्री हरिश सिन्हा, आ0 श्री लक्ष्मीनारायण सिन्हा, निवासी – ग्राम– चैनगंज, गुण्डरदेही, जिला–बालोद	

खनि. अधिकारी, बालोद से प्राप्त जानकारी के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्र कमांक 4023 दिनांक 13.09.2024 द्वारा अवैध उत्खननकर्ताओं पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई :– (संलग्नक–03)

क्र.	उत्खननकर्ता का नाम व पता	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि।
1.	श्री देवव्रत ठाकुर, आ0 खेमन सिंह ठाकुर, निवासी – खुटेरी, तहसील– डौण्डी, जिला–बालोद	रूपये – 2,79,720 / –

खनि. अधिकारी, बालोद से प्राप्त जानकारी के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्र कमांक 4024 दिनांक 13.09.2024 द्वारा अवैध उत्खननकर्ताओं पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई :– (संलग्नक–04)

क्र.	उत्खननकर्ता का नाम व पता	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि।
1.	श्री देवेन्द्र साहू, आ0 नरेन्द्र साहू, निवासी – जैसकर्रा, तहसील –चरामा, कांकेर	रूपये – 2,91,375 / –
2.	श्री आलोक सिंह ठाकुर, आ0 श्री चंद्रकुमार ठाकुर, निवासी – जैसकर्रा, तहसील –चरामा, कांकेर	
3.	श्री हितेष जैन, आ0 श्री युगल किशोर जैन, निवासी – रेलवे कॉलोनी दल्लीराजहरा, तहसील– डौण्डी, जिला–बालोद	

खनि. अधिकारी, बालोद से प्राप्त जानकारी के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4025 दिनांक 13.09.2024 द्वारा अवैध उत्खननकर्ताओं पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई :– **(संलग्नक–05)**

क्र.	उत्खननकर्ता का नाम व पता	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि।
1.	श्री शुभम वर्मा, आ0 अर्जुन वर्मा, निवासी – रिसाली, भिलाई, जिला–दुर्ग,	रूपये – 11,655/–
2.	श्री गोपाल प्रकाश जाजू, निवासी – जवाहरपारा, बालोद	
3.	श्री राजेश देवांगन, आ0 श्री सुखलाल देवांगन, निवासी – वार्ड 22, रिसाली, भिलाई, जिला–दुर्ग	

पारित आदेश के बिन्दु क्रमांक–06 के पालनार्थ की गई कार्यवाही – बिन्दु क्रमांक 05 के पालनार्थ की गई कार्यवाही से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल को अवगत कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4026 दिनांक 13.09.2024 द्वारा मंडल की अधिवक्ता सुश्री पारूल भदौरिया सहपत्रों सहित जानकारी प्रेषित की गई।

उपरोक्तानुसार संदर्भित आदेश के बिन्दु क्रमांक 05 एवं 06 के पालनार्थ की गई कार्यवाही (Action Taken Report) सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

संलग्नक-01

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालोद(छ0ग0)

जिला बालोद, छत्तीसगढ 491226 Email: miningbalod@gmail.com

क्रमांक 1261 / कोपा / जनरल / 2024 बालोद दिनांक:- 28/06/2024

प्रति

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल भिलाई
जिला दुर्ग(छ.ग.)

विषय :- बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के पोंड़ रेत खदान की जानकारी उपलब्ध कराने बावत्।
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1857 / क्षे. कार्या. / छपसंमं / भिलाई / 2024 दिनांक 20.06.2024

00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन होवे। माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक OA No.- 595/2024 "News item titled" Balod: मशीन का सील तोडकर कर रहे थे अवैध खनन, भाजपा नेता ने की शिकायत हो सकती है FIR. के संबंध में आपके द्वारा प्रकरण में चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-

"बालोद जिलांतर्गत ग्राम पोंड तहसील गुरूर के खसरा क्रमांक 152 रकबा 5.00 हे. क्षेत्र पर अवधि दिनांक 06.06.2020 से 05.06.2022 तक छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एव व्यवसाय) नियम 2019 दिनांक 16.08.2019 के तहत् श्री भीमराम विश्वकर्मा आत्मज श्री परसादीराम, निवासी ग्राम भोथली पोस्ट सांकरा तहसील व जिला बालोद(छ.ग.) को रेत उत्खननपट्टा की स्वीकृति प्रदान की गई।

ग्राम पंचायत पोंड अंतर्गत के किये गये कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है, जोकि प्रकाशन तिथि दिनांक 15.04.2024 के समीपस्थ समय में कार्यवाही है :-

प्रकरण क्रमांक 01-

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म रायपुर के निर्देशानुसार प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक 13.03.2024 को ग्राम भैसमुंडी ग्राम पंचायत पोंड तहसील गुरूर जिला बालोद(छ.ग.) अंतर्गत खनिज रेत के अवैध उत्खनन / परिवहन का मौका जांच संयुक्त जांच दल, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म रायपुर द्वारा किया गया। मौके पर 01 चैन माउंटेन मशीन तथा दो हाईवा को जप्त किया गया। चैन माउंटेन मशीन आपरेटर मौके से फरार हो जाने के कारण नदी तट पर लावारिस अवस्था मे जप्त कर ग्राम कोटवार श्रीमती प्रमिला कुलदीप पति श्री रूपराम को सुपुर्दगी मे दिया गया एव चैन माउंटेन मशीन को सील किया गया, साथ में जप्त हाईवा को मरकाटोला कैम्प में थाना प्रभारी के सुपुर्दगी में सुरक्षार्थ रखा गया एवं अवैध उत्खनन / परिवहन का प्रकरण तैयार किया गया।

जप्त चैनमाउंटेन को ग्राम कोटवारी की अभिरक्षा मे रखा गया। दिनांक 21.03.2024 को ग्राम कोटवार द्वारा मौके पर जप्त वाहन में तोडफोड एवं चोरी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया जाना पाया गया। ग्राम कोटवार द्वारा उक्त के संबंध मे थाना प्रभारी, थाना गुरूर जिला बालोद(छ.ग.) में FIR दिनांक 21.03.2024 को की गई है। **(FIR की प्रति संलग्न)**

उक्त प्रकरण में कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार खनिज रेत अवैध उत्खनित मात्रा 490.00 घमी के विरूद्ध समझौता राशि रू.1,85,750/- चालान क्रमांक 3530 दिनांक 09.04.2024 द्वारा जमा कराया जाकर, प्रकरण का प्रशमन किया गया।"

प्रकरण क्रमांक 02-

प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 15.03.2024 को ग्राम भैसमुंडी ग्राम पंचायत पोंड तहसील गुरूर जिला बालोद(छ.ग.) अंतर्गत खनिज रेत के अवैध उत्खनन / परिवहन का मौका जांच खनिज अमला बालोद द्वारा किया गया। मौके पर 01 चैन माउंटेन जे.सी.बी. मशीन द्वारा खनिज रेत का उत्खनन / परिवहन किया जा रहा था। नदी घाट में कुल 06 हाईवा वाहन खड़ा होना पाया गया। मौके से चैन माउंटेन मशीन आपरेटर एवं हाईवा चालक फरार हो

F:/Trilok/General letter-545

JS (Ahirwar)/JS (Shiv)
CH (Mandal)/ICH (NKP)
Establish/Account/RC/Legal

Regional Officer
11 JUL 2024

R.O. SHILAI
R. No. 985
Date 01/07/24

जाने के कारण नदी तट पर लावारिस अवस्था मे उक्त मशीन/वाहनों को जप्त कर ग्राम कोटवार श्रीमती प्रमिला कुलदीप पति श्री रूपराम को सुपुर्दगी मे दिया गया एवं चैन माउटेन मशीन को सील किया गया एवं अवैध उत्खनन/परिवहन का प्रकरण तैयार किया गया।

जप्त चैनमाउटेन को ग्राम कोटवारी की अभिरक्षा मे रखा गया है। दिनांक 21.03.2024 को ग्राम कोटवार द्वारा मौके पर जप्त वाहन मे तोडफोड एवं चोरी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया जाना पाया गया। ग्राम कोटवार द्वारा उक्त के संबंध मे थाना प्रभारी, थाना गुरूर जिला बालोद(छ.ग.) में FIR दिनांक 21.03.2024 को की गई है। **(FIR की प्रति संलग्न)**

उक्त प्रकरण मे कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार खनिज रेत अवैध उत्खनित मात्रा 480.00 घमी के विरूद्ध समझौता राशिरू.1,84,000/- चालान क्रमांक 3532 दिनांक 09.04.2024 द्वारा जमा कराया जाकर, प्रकरण का प्रशमन किया गया। "

प्रकरण क्रमांक 03–

प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 17.03.2024 से 18.03.2024 (रात्रि में) को स्थान **पोंड** तहसील गुरूर जिला बालोद(छ.ग.) अंतर्गत खनिज रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन का मौका जांच संयुक्त रूप से खनिज अमला बालोद एवं पुलिस विभाग द्वारा किया गया। मौके पर 02 चैन माउंटेन मशीन द्वारा खनिज रेत का उत्खनन/परिवहन किया गया जा रहा था। जिसे जप्त कर मरकाटोला कैंप के सुपुर्द किया गया एवं अवैध उत्खनन/परिवहन का प्रकरण तैयार किया गया।

उक्त प्रकरण में कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार खनिज रेत अवैध उत्खनित मात्रा 500.00 घमी के विरूद्ध समझौता राशिरू.1,87,500/- ईचालान क्रमांक 66120424000885 दिनांक 15.04.2024 द्वारा जमा कराया जाकर, प्रकरण का प्रशमन किया गया। "

प्रकरण क्रमांक 04–

प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 09.04.2024 एवं दिनांक 12.04.2024 को संयुक्त टीम राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमला बालोद द्वारा स्थान पोंड तहसील गुरूर जिला बालोद(छ.ग.) अंतर्गत खनिज रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन का मौका जांच संयुक्त रूप से किया गया। मौके पर दिनांक 09.04.2024 को चैन माउंटन मशीन (L&T Komatsu) व दिनांक 12.04.2024 को चैन माउटेन मशीन (एसवाई 210 सी–9) तथा 02 हाईवा द्वारा खनिज रेत का उत्खनन/परिवहन किया गया जा रहा था। चैन माउंटन मशीन (L&T Komatsu) को जप्त कर ग्राम सरपंच नरसिंह आत्मज स्व. श्री भगीरथी निवासी पोंड तहसील गुरूर जिला बालोद (छ.ग.) एवं चैन माउंटन मशीन (एसवाई 210 सी–9) को ग्राम कोटवार श्रीमती प्रमिला कुलदीप पति श्री रूपराम को सुपुर्दगी में तथा हाईवा को थाना प्रभारी मरकाटोला तथा थाना प्रभारी गुरूर की अभिरक्षा मे आगामी आदेश तक रखा गया है।

उक्त प्रकरण में कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार खनिज रेत अवैध उत्खनित मात्रा 20.00 घमी के विरूद्ध समझौता राशि रु.1,03,500/- ईचालान क्रमांक 4859 दिनांक 20.05.2024 द्वारा जमा कराया जाकर, प्रकरण का प्रशमन किया गया। "

वांछित जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

खनि अधिकारी
जिला–बालोद(छ.ग.)

F:/Trilok/General letter- 546

वित्तीय वर्ष 2024–25 (जून 2024 की स्थिति में)

क्रमांक	जांच दिनांक	अवैध उत्खननकर्ता का नाम व पता	क्षेत्र/स्थान का विवरण	जप्त वाहन का विवरण	खनिज का नाम	मात्रा	जमा समझौता शुल्क (राशि रू में)
1	13.03.2024	01 संतोष साहू आ. सज्जन लाल साहू निवासी शीतलापारा गुरूर जिला बालोद (छ.ग.) 02 शंकर लाल आ. स्व. माखन लाल मरार निवासी जगन्नाथपुर साकरा जिला बालोद (वाहन स्वामी सीजी 24 जी 6527) 03 हरीश सिन्हा आ. श्री लक्ष्मीनारायण सिन्हा निवासी ग्राम चनगाव गुण्डरदेही जिला बालोद (छ.ग.)	ग्राम भैंसबोड़ी ग्राम पंचायत पोंड तह.गुरूर जिला–बालोद	01 चैन माउंटेन मशीन (टाटा हिटाची इएक्स 2021 सी सुपर प्लस एमपी 21–B2256) एवं हाईवा क्रमांक 01 सीजी 24 टी 6527 एवं 02 सीजी 08 एई 5291	रेत	490 घ.मी.	185750
2	15.03.2024	दयाव्रत ठाकुर आ. खगन सिंह ठाकुर निवासी खुटेरी तह गुण्डरदेही जिला बालोद	ग्राम भैंसबोड़ी ग्राम पंचायत पोंड तह.गुरूर जिला–बालोद	चैन माउंटेन जेसीबी मशीन (पीला रंग इंजन नं. 84060115)	रेत	490 घ.मी.	184000
3	17.03.2024	01 देवेन्द्र साहू आ. नरेन्द्र साहू 02 जलाक सिंह ठाकुर आ. श्री चंद्र कुमार ठाकुर निवासी लेमकर्रा तह. चारामा जिला कांकेर 03 दिनेश जैन आ. श्री युगलकिशोर जैन निवासी रेल्वे कॉलोनी दल्लीराजहरा तह. डौण्डी जिला बालोद (छ.ग.)	ग्राम व ग्राम पंचायत पोंड तह.गुरूर जिला–बालोद	01 चैन माउंटेन हुंडई 140 एवं 02 चैन माउंटेन टाटा हिताची 200	रेत	500 घ.मी.	187500
4	09.04.2024	01 पुनम वर्मा आ. अर्जुन वर्मा निवासी ग्राम रिसाली सेक्टर भिलाई बालोद (छ.ग.) 02 गोपाल ओमप्रकाश वाजु निवासी जवाहर पारा बालोद 03 राजेश देवांगन आ. श्री तुलाराम देवांगन निवासी वार्ड 22 रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग(छ.ग.)	ग्राम पोंड तहसील गुरूर जिला बालोद (छ.ग.)	01 चैन माउंटेन मशीन (एल एंड टी कोमात्सु) एवं हाईवा क्रमांक 01 सीजी 24 के 6427 एवं 02 सीजी 07 सीएम 8064	रेत	20 घ.मी.	103500

फार्म नं.1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत)
(FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P.C.)

जिला - बालोद....थाना - पुरूर.. वर्ष 2024.....प्र.सू.प्र.क 50/2024 दिनांक - 21.03.2024

2. (1) विधान............ भा0द0वी .... धाराएँ..........379,427 ....
(2) विधान...धाराएँ..
(3) विधान...धाराएँ..
(4) अन्य विधान एवं धाराएं ....

3. (अ) संदर्भित रोजनामचा सान्हा क्रं...
(ब) घटना का दिन.....गुरूवार...... दिनांक- 20-21.03.2024 के दरम्यानी रात्रि ....
(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक- दिनांक - 21.03.2024 के 17.30 बजे रो.सा.क्र. 24...

4. सूचना का प्रकार : लिखित/ मौखिक.......................मौखिक ....

5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दुरी - दक्षिण दिशा 20 कि0मी0
(ब) घटना स्थल का पता- ग्राम भैसमुण्डी महानदी
......................बीट नं. ....
(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना..........................जिला.................

6. अभियोगी/सूचनाकर्ता : (अ) नाम -..परमिला कुलदीप
(ब) पिता/पति/पालक का नाम...स्व0 रूपराम कुलदीप
(स) जन्म दिनांक/वर्ष...46... वर्ष ..(ड) राष्ट्रीयता - भारतीय
(द) पासपोर्ट नं. ....जारी दिनांक..............जारी होने का स्थान
(क) व्यवसाय.. कोटवारी ...(ख) पता- ग्राम आलोरी थाना पुरूर जिला बालोद (छ0ग0
मो0नं0- 7587813857

7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करेगा)

अज्ञात

8. अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण - ....समय पर ....

9. अपहृत/सम्बद्ध संपत्ति का पूर्ण विवरण : (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)..............................

10. अपहृत/संबंध सम्पत्ति का कुल मुल्य.. ....30,000/रू-...............................

11. मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो)..

12. प्रथम सूचना विवरण (आवश्यकतानुसार अलग पृष्ठ का प्रयोग करें)

मै ग्राम अछोरी, भैसमुण्डा मे ... का काम करती हूं, दिनांक 15.03.2024 को माइनिंग निरीक्षक बालोद के द्वारा एक नग चैन माउटेन टाटा हिचायकी 215 कम्पनी का एवं एक नग जेसीबी 200 कम्पनी को ग्राम भैसमुण्डी महानदी मे अवैध रूप से रेत उत्खन्न करते हुये पकडे जाने पर माइनिंग अधिकारी के द्वारा जप्त कर मुझे देख रेख करने निर्देशित किया गया था उक्त दोनो वाहन ग्राम भैसमुण्डी महानदी में खड़ा था जिसे दिनांक 21.03.2024 को सुबह लगभग 06.00 बजे जाकर देखी तो चैन माउटेन व जेसीबी को कोई अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 20-21.03.2024 के दरम्यानी रात्रि मे तोड़फोड़ कर क्षति पहुचाकर चैन माउटेन टाटा हिचायकी 215 कम्पनी डीजल टंकी से 200 लीटर डीजल किमती 20,000/-रू का डीजल चोरी कर चैन माउटेन का डीजल टैंक का ढ़क्कन व बैटरी गेज का ओपनर एवं जेसीबी का बैटरी लाक दरवाजा को तोड़फोड़ करने से चैन माउटेन टाटा हिचायकी 215 कम्पनी में किमती लगभग 5,000/-रू का नुकसान हुआ है एवं जेसीबी 200 कम्पनी में किमती लगभग 5,000/-रू का नुकसान हुआ है, जिसकी सुचना माईनिंग अधिकारी को देकर इस समय थाना पुरूर में रिपोर्ट करने आई हूँ, रिपोर्ट करती हूँ, मैं अपनी रिपोर्ट पढ़वाकर देखी मेरे बताये अनुसार सही लिखी गई है, कार्यवाही चाहती हूँ।

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा....379,427 भा0द0वी......, का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया नही लिया गया तथा..............को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना.................. जिला.....................को स्थानांतरित किया गया या द.प्र.सं. की धारा 154 ''ब'' के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। अभियोगी सूचनाकर्ता को प्र.सू.पत्र पढवाकर/पढकर सुनाया गया, जिन्होने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया। इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को निः शुल्क प्रदाय की गयी।

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी
(नाम)- अनंत कुमार सोनी
(पद) - प्रधान आरक्षक
(नं यदि है) 234

अभियोगी/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
प्रतिलिपि :- ....माननीय सीजेएम महोदय बालोद को सादर सूचनार्थ.................................

सलग्नक-08

क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

bhilairo@gmail.com

क्रमांक 4022 /क्षे.कार्या/छगपसंमं/भिलाई/2024 दिनांक 13/09/2024

प्रति,

01. श्री रविकांत साहू, आ. सोहनलाल साहू,
निवासी शीतला पारा, गुरूर, बालोद,
02. श्री शंकरलाल आ. स्वर्गीय माखनलाल महार,
निवासी जगन्नाथपुर, सांकरा, बालोद,
03. श्री हरीश सिन्हा, आ. श्री लक्ष्मीनारायण सिन्हा,
निवासी ग्राम चैनगंज, गुण्डरदेही, बालोद (छ.ग.)।

विषयः– OA 595/2024 News item titled "Balod : Machine ki seal todkar kar rahe the avaidh khanan bhajapa neta ne ki hai shikayat ho sakti hai FIR" appering in amarujala.com dated 15/04/2024

संदर्भः– माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण कमांक ओए नंबर–595/2024 में दिनांक 24/05/2024 को जारी आदेश।

--::00::–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28/06/2024 के माध्यम से सूचित किया गया है कि आपके द्वारा खनिज रेत मात्रा–490 घनमीटर का अवैध उत्खनन दिनांक 13/03/2024 को किया गया है। उक्त अवैध उत्खनन किये जाने के कारण आप पर रूपये–2,85,548/– (रूपये दो लाख पचासी हजार पांच सौ अड़तालीस) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। निर्देशित है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि पत्र जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर **Member Secretary (EC), CECB, Raipur** के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध न्यायालय में परिवाद दायर किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

संलग्नक-03

क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
bhilairo@gmail.com

क्रमांक 4023 /क्षे.कार्या/छगपसंमं/भिलाई/2024 दिनांक 13/09/2024

प्रति,

श्री देवव्रत ठाकुर, आ. खेमन सिंह ठाकुर,
निवासी–खुटेरी, तहसील गुण्डरदेही,
जिला–बालोद (छ.ग.)।

विषयः– OA 595/2024 News item titled "Balod : Machine ki seal todkar kar rahe the avaidh khanan bhajapa neta ne ki hai shikayat ho sakti hai FIR" appering in amarujala.com dated 15/04/2024

संदर्भः– माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण क्रमांक ओए नंबर–595/2024 में दिनांक 24/05/2024 को जारी आदेश।

–::00::–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28/06/2024 के माध्यम से सूचित किया गया है कि आपके द्वारा खनिज रेत मात्रा–480 घनमीटर का अवैध उत्खनन दिनांक 15/03/2024 को किया गया है। उक्त अवैध उत्खनन किये जाने के कारण आप पर रूपये–2,79,720/– (रूपये दो लाख उनासी हजार सात सौ बीस) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। निर्देशित है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि पत्र जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर **Member Secretary (EC), CECB, Raipur** के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध न्यायालय में परिवाद दायर किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

ok

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

संलग्नक-04

क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
bhilairo@gmail.com

क्रमांक 4024 /क्षे.कार्या/छगपसंमं/भिलाई/2024 दिनांक 13/09/2024

प्रति,

01. श्री देवेन्द्र साहू, आ. नरेन्द्र साहू,
निवासी–जैसकर्रा, तहसील–चरामा, कांकेर,
02. श्री आलोक सिंह ठाकुर, आ. श्री चंद्रकुमार ठाकुर,
निवासी–जैसकर्रा, तहसील–चरामा, कांकेर,
03. श्री हितेश जैन, आ. श्री युगल किशोर जैन,
निवासी– रेल्वे कॉलोनी, दल्लीराजहरा, तहसील डौण्डी, बालोद (छ.ग.)।

विषयः– OA 595/2024 News item titled "Balod : Machine ki seal todkar kar rahe the avaidh khanan bhajapa neta ne ki hai shikayat ho sakti hai FIR" appering in amarujala.com dated 15/04/2024

संदर्भः– माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण कमांक ओए नंबर–595/2024 में दिनांक 24/05/2024 को जारी आदेश।

–::00::–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28/06/2024 के माध्यम से सूचित किया गया है कि आपके द्वारा खनिज रेत मात्रा–500 घनमीटर का अवैध उत्खनन दिनांक 17/03/2024 एवं 18/03/2024 को किया गया है। उक्त अवैध उत्खनन किये जाने के कारण आप पर रूपये–2,91,375/– (रूपये दो लाख इनकानवे हजार तीन सौ पचहत्तर) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। निर्देशित है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि पत्र जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर **Member Secretary (EC), CECB, Raipur** के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध न्यायालय में परिवाद दायर किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

ok

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

संलग्नक-05

क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
bhilairo@gmail.com

क्रमांक 4025 /क्षे.कार्या/छगपसंमं/भिलाई/2024 दिनांक 13/09/2024

प्रति,

01. श्री शुभम वर्मा, आ. अर्जुन वर्मा,
निवासी–रिसाली, भिलाई, दुर्ग,
02. श्री गोपाल ओमप्रकाश जाजू,
निवासी–जवाहर पारा, बालोद
03. श्री राजेश देवांगन, आ.श्री सुखलाल देवांगन
निवासी–वार्ड 22 रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.)।

विषयः– OA 595/2024 News item titled "Balod : Machine ki seal todkar kar rahe the avaidh khanan bhajapa neta ne ki hai shikayat ho sakti hai FIR" appering in amarujala.com dated 15/04/2024

संदर्भः– माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण क्रमांक ओए नंबर–595/2024 में दिनांक 24/05/2024 को जारी आदेश।

–::00::–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28/06/2024 के माध्यम से सूचित किया गया है कि आपके द्वारा खनिज रेत मात्रा–20 घनमीटर का अवैध उत्खनन दिनांक 09/04/2024 एवं 12/04/2024 को किया गया है। उक्त अवैध उत्खनन किये जाने के कारण आप पर रूपये–11,655/– (रूपये ग्यारह हजार छः सौ पचपन) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। निर्देशित है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि पत्र जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर **Member Secretary (EC), CECB, Raipur** के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध न्यायालय में परिवाद दायर किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई